

## राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)

### प्रलिस के लयः

NDMA, NDRF, सेंडई फरेमवरक, SAARC, BIMSTEC ।

### मेन्स के लयः

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का वकलस और इसकी कमरुँ।

### चरुा में कुँयुँ?

हाल ही में [राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण \(NDMA\)](#) ने 28 सतुँबर, 2022 को अपना 18वुँ स्थापना दवलस मनाया ।

- थीम 2022: आपदा प्रबंधन में सुवैरुककलता ।

### राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA):

#### ■ पररुलल

- राष्ट्रुीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लयः शीरुष वैधानकल नकलया है ।
- इसका औपचारकल रूड से गठन 27 सतुँबर, 2006 को आपदा प्रबंधन अधनलयम, 2005 के तहत हुआ जसलमें परधानमंतुरी (अधुयकुष) और नुँ अनुय सदसुय हुँगे और इनमें से एक सदसुय को उपाधुयकुष डद दलया जाएका ।
- आपदा प्रबंधन की पराथमकल जलमलदेरुी संबुंधतल राजुय सरकर की हुती है । हालुँकल आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रुीय नीतलकुँदर, राजुय और जललल, सडुी के लयः एक सकुषम वातावरण बनाती है ।
- सरकर, देश के 350 जललुँ में आपदा प्रबंधन सुवयंसुवक (आडदा मतुरर) बनाने के कारुयकरुड पर काम कर रही है ।

#### ■ आडदा मतुरर:

- यह एक कुँदरुीय कुषुतरक डुकुनल है जसुँ मरुँ 2016 में शुरु कलया गया था ।
- NDMA, इस डुकुनल की कारुयानुवडन एकुँसी है ।
- यह आडदा-डरुवण कुषुतरुँ में उडडुकुत वुयकुतलडुँ की डरुहचलन करने की एक डुकुनल है, जसलमें आडदाओँ की सुथतलडुँ डुँ बरुाव कारुयुँ के लयः आडदा मतुरर को डरुशकुषतल कलया जानल शलमलल है ।
- इस डुकुनल का उदुदेशुय समुदलड के सुवयंसुवकुँ को, आडदा के डलद उतुडनुन हुँने वलली सुथतलडुँ डुँ अपने समुदलड की ततुकल जरुुरतुँ को डुरल करने हेतु आवशुयक कुशल डरुदान करना है जसलसे वे अरुानक डलदुँ और शहरी कुषुतरुँ में उतुडनुन डलदुँ कुँसी आडदतकललीन सुथतलडुँ के दुरलन डुनडुीदी रहत एवं बरुाव कारुय करने में सकुषम हुँ सकुँ ।

### राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का वकलस:

- आडदा प्रबंधन प्राधिकरण को राष्ट्रुीय पराथमकलता का महतुतुव देते हुँ भारत सरकर ने आडदा प्रबंधन डुकुनलओँ पर तैडलरल की सडुरलरलशल करने तथल डरुडलवी शडन उडडलने हेतु अगसुत 1999 में एक उरुुुाधकलर डरुडतुत कडुडुी और वरुष 2001 के गुजुरलत डुकुड के डलद एक राष्ट्रुीय कडुडुी का गठन कलया ।
- दसुवी डुँरुवरुषीय डुकुनल के अडललुख में डुी डरुथड डलर आडदा प्रबंधन पर एक वसुतुत अधुडलड को शलमलल कलया गया है । डलरहुवुँ वतलत आडडग को डुी आडदा प्रबंधन के लयः वतलतुीय डरुडुँ की समीकुषल हेतु अधदलश दलया गया था ।
- 23 दसुँबर, 2005 को भारत सरकर ने आडदा प्रबंधन अधनलयम बनाया जसलमें परधानमंतुरी के नेतुतुव में एक राष्ट्रुीय आडदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और संबदुध डुखुडडुँतुरडुँ के नेतुतुव में राजुय आडदा प्रबंधन प्राधिकरणुँ (SDMAs) की स्थापनल की डरुकललडनल भारत में आडदा प्रबंधन का नेतुतुव करने तथल उसके डरुतलएक समगुर व एकीकृत दृषुतकुण कारुयानुवतल करने हेतु की गई ।

### राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कारुय तथल उतुतरदलडतलवः

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को स्वीकृत देना ।
- आपदा प्रबंधन हेतु नीतियाँ तैयार करना ।
- राष्ट्रीय योजना के अनुसार केंद्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा बनाई गई योजनाओं को स्वीकृत करना ।
- ऐसे दशा-नरिदेश तैयार करना जिनका अनुसरण कर राज्य के प्राधिकारी राज्य योजना तैयार कर सकें ।
- ऐसे दशा-नरिदेश तैयार करना जिनका अनुसरण केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा आपदा रोकथाम के उपायों को एकीकृत करने या आपदा प्रभावों के शमन हेतु अपनी विकास योजनाओं एवं परियोजनाओं में कथि जा सके ।
- आपदा प्रबंधन नीति एवं योजना के प्रवर्तन और कार्यान्वयन हेतु समन्वय करना ।
- शमन के लिये नधियों के प्रावधान की सफ़िररिं करना ।
- अन्य ऐसे देशो जो कबिडी आपदाओं से प्रभावति होते हैं, को केंद्र सरकार द्वारा नरिधारति सहायता प्रदान करना ।
- भयावह आपदा स्थितियों या आपदाओं से नपिटने हेतु रोकथाम या शमन या तैयारी और क्षमता नरिमाण के ऐसे अन्य उपाय अपनाना जनिहें वह आवश्यक समझे ।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान की कार्यपद्धति हेतु व्यापक नीतियाँ और दशा-नरिदेश तैयार करना ।

## कमियाँ और चुनौतियाँ:

- वर्ष 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ के दौरान NDMA की भूमिका पर कई सवाल उठाए गए थे, जहाँ यह अचानक से आई बाढ़ और भूस्खलन के वषिय में लोगों को समय पर सूचित करने में वफिल रहा था, आपदा के बाद राहत संबंधी प्रतिक्रिया भी उतनी ही खराब थी । वशिषज्ओं ने बाढ़ तथा भूस्खलन शमन के लिये NDMA की अधूरी परियोजनाओं को ज़मिमेदार ठहराया ।
- **नयितरक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)** की एक रपिरट में बताया गया है कि **बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रमों के तहत परियोजनाओं** को पूरा करने में देरी हुई थी ।
  - ऐसा पाया गया कि **नदी प्रबंधन गतिविधियों और सीमावर्ती क्षेत्रों की परियोजनाओं से संबंधित कार्यों को पूरा करने में ज़्यादा देरी हुई**, जो मूलतः असम, उत्तर बहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश की बाढ़ की समस्याओं के दीर्घकालिक समाधान थे ।
- वर्ष 2018 में केरल और वर्ष 2015 में चेन्नई की बाढ़ के दौरान हुआ विनाश आपदा स्थितियों के संबंध में तैयारी को लेकर संस्थाओं को सजग करने वाला है ।
  - वर्ष 2015 की **चेन्नई की बाढ़ को CAG की रपिरट ने मानव नरिमति आपदा** कहा और इस विनाश के लिये तमलिनाडु सरकार को उत्तरदायी बताया ।
- NDRF कर्मियों के पास **संकट की स्थितियों से नपिटने हेतु पर्याप्त प्रशिक्षण, उपकरणों, सुविधाओं और आवासीय सुविधा का अभाव** है ।
- **नधियों का दुरुपयोग:** आपदाओं से नपिटने के लिये सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया नधि और राज्य आपदा प्रतिक्रिया नधिकी स्थापना की है ।
  - इनके लेखा परीक्षणों से पता चला है कि कुछ राज्यों ने उन व्ययों हेतु नधिका दुरुपयोग किया है, जनिहें आपदा प्रबंधन के लिये स्वीकृत नहीं किया गया था ।

## आपदा प्रबंधन हेतु भारत के प्रयास:

- **राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की स्थापना:**
  - भारत ने सभी प्रकार की आपदाओं के न्यूनीकरण के संदर्भ में तेज़ी से कार्य किया है तथा आपदा प्रतिक्रिया के लिये समर्पित विश्व के सबसे बड़े बल **'राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल' (NDRF)** की स्थापना के साथ सभी प्रकार की आपदाओं की स्थिति में तेज़ी से प्रतिक्रिया की है ।
- **अन्य देशों को आपदा राहत प्रदान करने में भारत की भूमिका:**
  - भारत की विदेशी मानवीय सहायता में इसकी सैन्य शक्ति को भी तेज़ी से शामिल किया गया है जिसके तहत आपदा के समय देशों को राहत प्रदान करने के लिये नौसेना के जहाज़ों या विमानों को तैनात किया जाता है ।
  - **"नेबरहुड फ़रसट"** की इसकी कूटनीतिक नीतिके अनुरूप, राहत प्राप्तकर्ता देश दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के रहे हैं ।
- **क्षेत्रीय आपदा तैयारियों में योगदान:**
  - **बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC/बिमिस्टेक)** के संदर्भ में भारत ने आपदा प्रबंधन अभ्यासों की मेज़बानी की है जो NDRF को साझेदार राज्यों के समकक्षों के लिये विभिन्न आपदाओं का सामना करने के लिये वकिसति तकनीकों का प्रदर्शन करने की अनुमति देता है ।
  - NDRF और भारतीय सशस्त्र बलों के अभ्यासों ने भारत को **दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC)** और **शंघाई सहयोग संगठन (SCO)** के सदस्य देशों के संपर्क में लाया है ।
- **जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपदा का प्रबंधन:**
  - भारत ने DRR, सतत् विकास लक्ष्यों (2015-2030) और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के लिये सेंडाई फ़्रेमवर्क को अपनाया है, जो सभी DRR, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (CCA) एवं सतत् विकास के बीच संबंधों को स्पष्ट करते हैं ।

## आगे की राह

- वृहद स्तर पर नीतितगत दशा-नरिदेशों की आवश्यकता है जो सभी क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन और विकास योजनाओं की तैयारी एवं कार्यान्वयन

को सूचित तथा मार्गदर्शन करेंगे।

- तैयारी और शमन की संस्कृति में निर्माण करना समय की मांग है।
- आपदा प्रबंधन प्रथाओं के विकास हेतु एकीकरण और आपदाओं की रोकथाम एवं शमन के लिये विशिष्ट विकासात्मक योजनाओं के परिचालन दिशानिर्देश तैयार किये जाने चाहिये।
- ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी प्रतिक्रिया हेतु योजनाओं के साथ मज़बूत पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिये।
- आपदा प्रबंधन के सभी चरणों में समुदाय, गैर-सरकारी संगठनों, CSO और मीडिया को शामिल किया जाना चाहिये।
- अनुकूलन और शमन के माध्यम से जलवायु जोखिम प्रबंधन को संबोधित किया जाना चाहिये।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. पहले के प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण से हटकर भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन हेतु शुरू किये गए हालिया उपायों की चर्चा कीजिये। (2020)

प्रश्न. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के दिशा-निर्देशों के संदर्भ में उत्तराखंड के कई स्थानों पर हाल ही में बादल फटने की घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिये अपनाए जाने वाले उपायों पर चर्चा कीजिये। (2016)

प्रश्न. सूखे को इसके स्थानिक वसितार, अस्थायी अवधि, धीमी शुरुआत और कमज़ोर वर्गों पर स्थायी प्रभाव को देखते हुए एक आपदा के रूप में मान्यता दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के सितंबर 2010 के दिशा-निर्देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भारत में संभावित अल नीनो और ला नीना नतीजों से निपटने के लिये तैयारियों के तंत्र पर चर्चा कीजिये। (2014)

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/national-disaster-management-authority-1>

